यालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बांका

17.02.23 **परिवाद पत्र संख्या –** 1855/22

परिवाद पत्र आज उपस्थापित किया गया, वादी न्यायालय में काफी लंबे समय से अनुपस्थित चले आ रहे है। वादी को न्यायालय द्वारा बार बार जांच साक्ष्य हेतु अवसर दिया जा रहा है लेकिन वादी आज तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और न ही इस वाद में अबतक साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद को आगे चलाने हेतु कोई अभिरूची शेष नही रह गई है।

सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन उपरांत न्यायालय इस वाद में अग्रतर कारवाई हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में चवादी के उपेक्षापूर्ण रवैया एवं वाद में अपर्याप्त साक्ष्य को देखते हुये वाद द0प्र0स0 की धारा 203 के अंतर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में नियमपूर्वक जमा करे।

लेखापित

मुख्य न्या0 दण्डा0, बांका